छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के परिपालन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन 05 सितम्बर 2008 को किया गया, जिसके द्वारा निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु कार्य किया जाता है।
- **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से तात्पर्य**
  - ➢ भवनों, मार्गों, सड़कें, रेल्वे मार्ग व ट्रेक, ट्रामवे, हवाई मैदान जैसे निर्माण कार्य।
  - ➢ सिंचाई, जल निकास, तटबंध, नौ परिवहन, संकर्म, बाढ़ नियंत्रण कार्य (वृश्टिजल निकास संकर्म भी)
  - ➢ विद्युत के उत्पादन, पारेशण एवं वितरण, जल संकर्म (जिसमें जल के वितरण के लिये सारणियां)
  - ➢ तेल तथा गैस प्रतिश्ठानों, विद्युत लाईनों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार तथा विदे ा संचार माध्यम निर्माण कार्य।
  - ➢ बांध, नहर, जलाशय, जल सारणियां, सुरंग, पुल, सेतु, जल सेतु।
  - ➢ पाइप लाइन, मीनार भीतलन, मीनार (टावर) पारेशण सम्मिलित किया गया है।
  - ➢ इसमें ऐसे कार्य भी है, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिश्ट करे या उनके संबंध में सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना भाामिल है, परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खदान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हों।
- **निर्माण श्रमिक से तात्पर्य :–** जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कु ाल, अर्द्ध कु ाल या अकु ाल श्रमिक के रूप में भाारीरिक, पर्यवेक्षणिक, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य भाड़े या पारिश्रमिक के लिये करता हो। नियोजन के निबन्धन प्रकट हों या विवक्षित हो, किन्तु प्रबंधकीय या प्र ाासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है।
- **हितग्राही पंजीयन :–** भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण श्रमिक का पंजीयन मंडल के द्वारा किया जाता है।
- **पंजीयन हेतु अर्हताएं**
  - ➢ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं किन्तु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  - ➢ विगत एक वर्ष में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस कार्य करने संबंधी नियोजक/श्रमिक संघ/श्रम निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
  - ➢ किसी भी लोक सेवा केन्द्र से श्रम विभाग के वेबसाईट ूणबहसंइवनतण्दपबण्पद से ऑन–लाईन आवेदन कर सकते हैं।
- छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, मृत्यु एवं दिव्यांगता, प्रसूति, कौशल उन्नयन आदि के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।